न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
उपस्थित–श्री सुशील कुमार शशि (एच0जे0एस0–यू0पी02001)
फौजदारी प्रकीर्ण सं0–172/2025
स्टेट————बनाम————जवाहिर।

27.07.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। मामले में फौजदारी अपील, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, जौनपुर के द्वारा मुकदमा सं0–1706/2018 सरकार बनाम जवाहिर व अन्य के मामले में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 04.07.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना के साथ प्रार्थना पत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा 5ख प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि फौजदारी अपील उपरोक्त न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, जौनपुर द्वारा दोषमुक्ति का निर्णय/आदेश दिनांकित 04.07.2025 को पारित किया गया है। फौजदारी अपील उपरोक्त जिलाधिकारी जौनपुर के कार्यालय से दिनांक 18.08.2025 को उसके कार्यालय में विलम्ब से उपलब्ध करायी गयी है। फौजदारी अपील प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन कर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अपील योजित की जा रही है और विलम्ब उसके कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है, विलम्ब माफी योग्य है। फौजदारी अपील उपरोक्त में दफा 5 का लाभ देते हुए अपील उपरोक्त एडमिट किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी जानबूझकर कोई गलती नहीं किया है। यदि किसी कारण से देरी समझी जाय तो अपीलार्थी को माफ करते हुए दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, जौनपुर के द्वारा मुकदमा सं0–1706/2018 सरकार बनाम जवाहिर व अन्य के मामले में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 04.07.2025 की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अभियुक्तगण जवाहिर, रेखा, कल्लू, मनोज कुमार को मु0अ0सं0–329/1999 अन्तर्गत धारा–147, 323, 325, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है।

यहां यह कहना समीचीन होगा कि विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि राज्य की ओर से दोषमुक्ति के मामले में अपील दाखिल करने की समयावधि 90 दिन होती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2025 के विरूद्ध फौजदारी अपील दिनांक 02.09.2025 को दाखिल की गयी जो कि समयावधि के अन्दर है। चूंकि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जौनपुर द्वारा 90 दिन में अपील दाखिल की गयी है इसीलिये उनके द्वारा प्रस्तुत देरी माफी प्रार्थना पत्र 5ख का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र 5ख इस स्तर पर निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम निस्तारित किया जाता है। पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 30.07.2026 को पेश हो।

दिनांक–27.07.2026
नितिन कुमार/–

(सुशील कुमार शशि)
सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।

Digitally signed by SUSHIL KUMAR SHASHI
Date: 2026.07.27 17:37:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court